उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission

पत्रांक सं० 741 दिनांक / Date 15/09/2017

<u>प्रेस नोट</u>

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 11/9/2017 को विभिन्न परीक्षाओं का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया। इसके उपरांत अवर अभियंता पद के लिए कुछ अभ्यर्थियों द्वारा आयोग में अपना अनुरोध प्रस्तुत किया गया। जिसमें मुख्य रूप से निम्न 3 अनुरोध आयोग से किये गये–

1. मूल विज्ञापन की भांति अवर अभियंता पद के लिए सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा तकनीकी अर्हता से संबंधित प्रश्नों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाये।
2. अवर अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) पद कोड–52 के लिए अभ्यर्थियों को पांच शाखाओं में से कोई एक शाखा चुनने का विकल्प दिया जाये।
3. अवर अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) के लिए पांच खण्डों के बजाय एक ही प्रश्न पत्र कराया जाये।

उपरोक्त पहले बिंदु के संबंध में स्पष्ट करना है कि उत्तराखण्ड समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली, 2008 के नियम 5(4)(दो)(ख) में यह उल्लेख है कि तकनीकी पदों के लिए 100 अंको के लिए एक ही लिखित परीक्षा करायी जायेगी। जिसमें संबंधित पद की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से संबंधित विषय से प्रश्न पूछे जायेगें। इसके साथ ही कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2017 से वर्ष 2008 की नियमावली के अनुरूप पूर्व में जारी किये गये विज्ञापनों को संशोधित कर इन परीक्षाओं को 2008 की उपरोक्त नियमावली के अनुरूप कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है। इसी के अनुरूप इन सभी परीक्षाओं का पाठ्यक्रम संशोधित किया गया है। मूल विज्ञापनों की संशोधन विज्ञप्ति भी शीघ्र प्रकाशित की जा रही है। अभ्यर्थियों के उपयोग के लिए इसकी सूचना परीक्षा पाठ्यक्रम के साथ अलग से पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है। यहां पर यह स्पष्ट करना है कि इस नियमावली के अनुरूप जिन पदों के लिए शैक्षिक अर्हता सामान्य है अर्थात किसी भी विषय में इण्टरमीडिएट या किसी भी विषय में स्नातक आदि उनके लिए सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी का 100 अंको का प्रश्न पत्र होगा। जिन पदों के लिए शैक्षिक अर्हता विषय विशेष की है यथा विज्ञान, वाणिज्य या तकनीकी डिप्लोमा आदि उनके लिए संबंधित पद की न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषय या डिप्लोमा की 100 अंको की परीक्षा होगी। इसी के अनुरूप आयोग द्वारा पाठ्यक्रम तैयार कराया गया है एवं तकनीकी विषयों से संबंधित पदों की परीक्षा में सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम आयोग द्वारा सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त बिंदू (2) के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। इस संबंध में यह स्पष्ट करना है कि अवर अभियंता के निम्न प्रकार के पदों की परीक्षा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा कार्यक्रम आयोग द्वारा तैयार किया गया है–

(क) अवर अभियंता विद्युत/यांत्रिकी पद कोड–52

(ख) अवर अभियंता जानपद(सिविल) पद कोड– 53, व 59

(ग) अवर अभियंता आई. टी. पदकोड– 54

उपरोक्त में से अवर अभियंता सिविल तथा अवर अभियंता आई. टी. के लिए 100 अंकों की क्रमशः सिविल या आई. टी. डिप्लोमा कोर्स से संबंधित परीक्षा होगी।

अवर अभियंता विद्युत/यांत्रिकी के लिए 100 प्रश्नों में से 30 प्रश्न बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अर्थात इस पद के लिए मांगी गयी डिप्लोमा इंजीनियरिंग की पांचों शाखाओं के कॉमन पाठ्यक्रम से होंगे। शेष 70–70 प्रश्न पांचो शाखाओं के लिए अलग–अलग होंगे। सभी अभ्यर्थियों के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 30 प्रश्न कॉमन होगा व अनिवार्य होंगे। शेष 70 प्रश्नों के पांच खण्डों में से वे अपनी स्वेच्छा से कोई 1 खण्ड विकल्प के तौर पर चुन सकते हैं। यह अनिवार्य नहीं होगा कि उन्हें अपने डिप्लोमा से संबंधित खण्ड को ही चुनना है। प्रतिबंध यह होगा कि 70 प्रश्नों का कोई 1 खण्ड ही अभ्यर्थी विकल्प के रूप में परीक्षा के लिए चुन सकेगें।

अवर अभियंता विद्युत/यांत्रिकी के लिए चूंकि विभाग की ओर से पांचो डिप्लोमा धारकों को पद के लिए पात्र माना गया है। अतः उन्हें परीक्षा में समानता की दृष्टि से इसे पांच खण्डों में तैयार किया गया है। जिससे अपने–अपने डिप्लोमा से संबंधित विषयों के प्रश्नों का विकल्प अभ्यर्थियों को मिल सके। इसमें कोई भी परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

15/9/17

(संतोष बड़ोनी)

सचिव।